



2026:AHC:61453

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत विषय संख्या - 3743 वर्ष 2026

प्रियंका कुशवाहा

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	मुहम्मद इमरान खान
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय क्रमांक - 5

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री मुहम्मद इमरान खान, वादी-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, एवं राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. प्रस्तावित किये जाने वाले आदेश के दृष्टिगत प्रतिवादीगण को सूचना जारी नहीं की जा रही है।

3. वादी-याचिकाकर्ता का कथन है कि पूर्व में हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित हुई थी और वादी-याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत याचिका सं०-866 /2022 दायर की थी, जिसमें दिनांक 04.03.2022 को निम्नलिखित आदेश पारित हुए :-

"दिनांक 02.03.2022 को अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, न्यायालय सं०-3, कानपुर नगर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का परिशीलन किया गया। प्रतिवेदन का सारभूत भाग इस प्रकार है :

"दिनांक 09/09/2021 को वादिनी उपस्थित थी। न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु पुनः पैरवी किये जाने का आदेश पारित किया। दिनांक 09/11/2021 को प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित



आये तथा न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया कि वादिनी प्रतिवादी को वादपत्र की नकलें प्रदान करे। दिनांक 09/11/2021 व अग्रिम नियत तिथि 07/12/2021 को वादिनी के उपस्थित न होने के कारण प्रतिवादी की उपस्थिति में अग्रिम तिथियां नियत कर दी गयी।

दिनांक 05/01/2021 को उभय पक्ष उपस्थित आये तथा प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् दिनांक 25/01/2022 वादबिन्दु विरचन हेतु नियत कर दी गयी। दिनांक 25/01/2022 को कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालय पूर्णरूप से संचालित न होने के कारण एवं वादकारियों के न्यायालय में प्रवेश वर्जित होने के कारण दिनांक 28/02/2022 की तिथि नियत की गयी।

दिनांक 28/02/2022 को वादिनी एवं प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा वादबिन्दुओं का विरचन किया गया तथा पत्रावली दिनांक 22/03/2022 को साक्ष्य में नियत कर दी गयी है।"

उक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादबिन्दुओं का विरचन हो चुका है और याचिका विचारण के लिये निर्धारित कर दी गई है, अगली नियत तिथि 22.03.2022 है।

वैवाहिक विषय स्वभावतः अत्यावश्यक प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये कलहरत पति-पत्नी के जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। इन्हें परम तीव्रता से निर्णीत किया जाना चाहिए। वर्तमान कार्यवाही एक विवाह-विच्छेद याचिका से संबंधित है, जिसमें कार्यवाही के परिणाम पर काफी कुछ निर्भर करता है, विशेषकर इस बात पर कि पक्षकारों का भावी जीवन किस प्रकार व्यतीत होगा। प्रस्तावित किये जाने वाले आदेश की प्रकृति को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को सूचना जारी करना स्थगित किया जाता है। तथापि, यदि उक्त प्रतिवादी व्यथित अनुभव करें तो वे निर्णीत याचिका में आवेदन करने के लिये स्वतन्त्र होंगे।

विद्वान अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, न्यायालय सं०-3, कानपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर याचिका का विधि-सम्मत रूप से निर्णय करें, और उसके लिये अगली नियत तिथि अर्थात् 22.03.2022 से प्रत्येक सप्ताह में दो प्रभावी सुनवाई की तिथियाँ नियत करें।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह याचिका उपर्युक्त आदेशों के अनुसार निस्तारित की जाती है।"

4. तत्पश्चात् उक्त कार्यवाही को वापस ले लिया गया और हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अन्तर्गत कार्यवाही संस्थित की गई, और याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत याचिका सं०-6478/ 2025 दायर की, जिसमें दिनांक 10.07.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित हुए :-

"1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष की माँग करते हुए दायर की गई है :-

"प्रधान न्यायाधीश, न्यायालय सं०-02, कानपुर नगर को वाद सं०-284, 2023 (राजनारायण कुशवाहा बनाम प्रियंका कुशवाहा) हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अन्तर्गत, जिला कानपुर नगर की कार्यवाही/विचारण को इस माननीय न्यायालय द्वारा नियत समयावधि के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दें।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वाद सं०-284 /2023 (राजनारायण कुशवाहा बनाम प्रियंका कुशवाहा), हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अन्तर्गत, की कार्यवाही वर्ष 2023 से लम्बित है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, न्यायालय सं०-02, कानपुर नगर, जो हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13ख के अन्तर्गत विवाह-विच्छेद की कार्यवाही से सम्बद्ध हैं, को उचित निर्देश दिये जाएँ कि वे उसे इस न्यायालय द्वारा नियत समयावधि के भीतर निर्णीत करें।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 21ख के उपबन्ध की ओर आकर्षित किया जो यह विहित करती है कि याचिका की सूचना प्रतिवादी को तामील होने की तिथि से छः माह के भीतर विचारण पूर्ण किया जाये।

5. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 21ख उद्धृत की जाती है :

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"21ख. अधिनियम के अन्तर्गत याचिकाओं के विचारण एवं निस्तारण से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध –

(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी याचिका का विचारण, यथासम्भव न्याय के हित में अटूट रूप से उस समय तक दिन-प्रतिदिन जारी रहेगा जब तक उसका निष्कर्ष न हो जाये; किन्तु यदि न्यायालय यह अनुभव करे कि अगले दिन से आगे स्थगन करना आवश्यक है तो वह कारण लिखित में अंकित करेगा।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक याचिका का विचारण यथासम्भव शीघ्रता से किया जायेगा और यह प्रयत्न किया जायेगा कि प्रतिवादी को याचिका की सूचना तामील होने की तिथि से छः माह के भीतर विचारण समाप्त हो जाये।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक अपील का विचारण यथासम्भव शीघ्रता से किया जायेगा और यह प्रयत्न किया जायेगा कि प्रतिवादी को अपील की सूचना तामील होने की तिथि से तीन माह के भीतर सुनवाई समाप्त हो जाये।"

6. हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 21ख के अन्तर्गत निहित वैधानिक अपेक्षा के दृष्टिगत इस याचिका को लम्बित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

7. प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, न्यायालय सं०-02, कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लम्बित उक्त कार्यवाही पर सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के, उपर्युक्त उद्धृत हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 21ख के वैधानिक आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई अन्य विधिक बाधा न हो, विधि के अनुसार शीघ्रता से विचार करें और निर्णय करें।

8. इन अवलोकनों के साथ यह याचिका निस्तारित की जाती है।"

5. तदनुसार, याचिका निस्तारित की जाती है और प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, कानपुर नगर को निर्देशित किया जाता है कि वे हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 21ख में निहित आदेश के



अनुसार हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत वाद सं०-453, 2025 की कार्यवाही में शीघ्रता लायें।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

25 मार्च, 2026

राजेश

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।